

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय  
//आदेश//

भोपाल दिनांक 20/01/2023

कमांक AGR/24/0046/2022-NFSM-FWAD :: श्री एस.एस.यादव, (सहायक संचालक) प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला, भिण्ड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कलेक्टर भिण्ड से कराये जाने पर श्री यादव के विरुद्ध वर्ष 2020-21 मे ग्रीष्मकालीन मूँग प्रदर्शनों के आयोजन मे आदान सामग्री वितरण/भुगतान मे गंभीर वित्तीय अनियमितताएं एवं कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण श्री एस.एस.यादव, प्रभारी उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला, भिण्ड को म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2/ श्री यादव का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर संभाग ग्वालियर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री यादव को नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

180/20/1123

(आर0एस0वर्मा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल दिनांक 20/01/2023

कमांक AGR/24/0046/2022-NFSM-FWAD

प्रतिलिपि-

- 1— विशेष सहायक मान. मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल।
- 2— अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल।
- 3— संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल।
- 4— आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0।
- 5— कलेक्टर, जिला भिण्ड म0प्र0।
- 6— संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर, म0प्र0।
- 7— उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला भिण्ड म0प्र0।
- 8— परियोजना संचालक, आत्मा समिति भिण्ड म0प्र0।
- 9— श्री एस.एस.यादव, प्रभारी उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला, भिण्ड म0प्र0—द्वारा संयुक्त संचालक, किसान कल्याण ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0।
- 10— आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

180/20/1123

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग